



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112025-267760
CG-DL-E-18112025-267760

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 740]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2025/कार्तिक 26, 1947

No. 740]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2025/KARTIKA 26, 1947

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2025

संदर्भ: HQ-PUB-BIS (1363). — भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा भारत के राजपत्र में निचे दिए गए सन्दर्भों में भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारत के राजपत्र भाग III, खंड 4 में भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत भारत सरकार की अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधनकरता है:

1) HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1237) दिनांक 20 मई 2025 (प्रकाशित दिनांक 23 मई 2025)

अनुसूची के क्रम संख्या 06, कॉलम (5) में — '19 नवंबर 2025' को '19 नवंबर 2026' से प्रतिस्थापित करें।

चित्रा गुप्ता, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (हॉलमार्किंग एवं ट्रेनिंग)

[विज्ञापन-III/4/असा./476/2025-26]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS**(Department of Consumer Affairs)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 10th November, 2025

Ref: HQ-PUB-BIS (1363).— Bureau of Indian Standards hereby makes the following AMENDMENT to the NOTIFICATION of Government of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs) in Part III, Section 4 of the Gazette of India in pursuance of sub-rule (1) of Rule 15 of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018.

1) Ref no. HQ-PUB013/1/2020-PUB-BIS (1237) dated 20 May 2025 (Published on 23 May 2025)

Sl No. 06, column (5) of schedule — Substitute ‘19 November 2026’ for ‘19 November 2025’.

CHITRA GUPTA, Scientist G & DDG (Hallmarking and Training)

[ADVT.-III/4/Exty./476/2025-26]